न्यायालयः – द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग – 1, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) समक्षः – दिलीप सिंह

<u>आर.सी.एस.ए-300045 / 2015</u> संस्थित दिनांक-18.07.2012

1. फूलवती बाई, उम्र 58 वर्ष, वल्द पूरनसिंह बेवा देवलसिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम खुरसीपार, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 2. फूलकन बाई, उम्र-45 वर्ष, वल्द पूरनसिंह, जाति गोंड, साकिन-ग्राम नेवरगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 3. लच्छो बाई, उम्र-34 वर्ष, वल्द पूरनसिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम नेवरगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 4. पुष्पा उम्र-20 वर्ष, वल्द साहूकार, जाति गोंड, निवासी-ग्राम सुन्दरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 5. हेमा उम्र–15 वर्ष, वल्द साह्कार, जाति गोंड, निवासी-ग्राम सुन्दरवाही, नाबालिग वली पिता साह्कार वल्द वरदानसिंह तह. बैहर, जिला बालाघाट 6. उदेश, उम्र–12 वर्ष, पिता साहुकार, जाति गोंड, नाबालिग वली पिता साह्कार वल्द वरदानसिंह, निवासी-ग्राम सुन्दरवाही, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 7. लीना उम्र–10 वर्ष, वल्द साह्कार, नाबालिग वली पिता साहूकार वल्द वरदानसिंह, निवासी-ग्राम सुन्दरवाही, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 8. साहुकार उम्र-56 वर्ष, पिता वरदानसिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम सुन्दरवाही, तह. बैहर, जिला बालाघट

. वादीगण

-// <u>विरूद</u>्ध//-

1. सकरूसिंह उम्र–45 वर्ष, वल्द सेखा, जाति गोंड, साकिन-ग्राम लगमा, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 2. बखरूसिंह, उम्र-40 वर्ष, वल्द सेखासिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम लगमा, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 3. सुखदेवसिंह, उम्र–36 वर्ष, पिता झुम्मुकलाल, जाति गोंड, निवासी–ग्राम बम्हनी, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 4. इतवारीसिंह, उम्र-24 वर्ष, वल्द अन्दनसिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम लगमा, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 5. राजेन्द्रसिंह धुर्वे, उम्र-42 वर्ष, वल्द देवीसिंह धुर्वे, जाति गोंड, निवासी–सीतलाधाम के पास न्यूराम नगर आधारताल जबलपुर, तह. व जिला जबलपुर, 6. सुखमनसिंह, उम्र-46 वर्ष, वल्द कलमसिंह, जाति गोंड, साकिन-ग्राम बम्हनी, तह, बैहर, जिला बालाघाट, 7. बुधराम, उम्र-24 वर्ष, वल्द सुखमनसिंह, जाति गोंड, साकिन–ग्राम बम्हनी, तह. बैहरी, जिला बालाघाट, 8. कुसला, उम्र–30 वर्ष, वल्द सुखमनसिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम बम्हनी, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 9. कृष्णाबाई, उम्र–28 वर्ष, वल्द सुखमनसिंह, जाति गोंड, साकिन–ग्राम बम्हनी, तह. बैहर, जिला बालाघाट,

10. अन्जूलता, उम्र—21 वर्ष, वल्द सुखमनसिंह, जाति गोंड, निवासी-ग्राम बम्हनी, तह. बैहर, जिला बालाघाट, 11. बलियारसिंह, उम्र-48 वर्ष, वल्द लक्ष्मणसिंह, जाति गोंड, साकिन-देवगांव, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, 12. म.प्र. शासन तरफे जिला कलेक्टर महोदय, बालाघाट

....<u>प्रतिवादीग</u>ण

_/<u>/ निर्णय</u>//-(<u>आज दिनांक-21/12/2017 को घोषित</u>)

- वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध हक घोषणा दिनांक-05. 1. 12.2007, दिनांक-09.01.2008, दिनांक-30.01.2008 के विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किये जाने एवं कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।
- वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादपत्र के पैरा—3 में 2. वादीगण एवं प्रति.क.1, 2 के वंश वृक्ष का उल्लेख है। विवादित भूमि सर्वे क. 33 / 1 रकबा 7.44 मौजा लगमा, प.ह.नं. 51 रा.नि.मं. बैहर तह. बैहर, जिला बालाघाट में स्थित है। वादीगण की नानी नरबदियाबाई को उसके पति सुकाली से सर्वे क. 33 रकबा 14.88ए., सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65 डि., सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32 डि. कुल रकबा 15.85ए भूमि मौजा लगमा की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि पर नरबदियाबाई की सहमति के आधार पर उसके देवर मोहन का नाम संशोधन पंजी क. 43 दिनांक-02.11.1960 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा नरबदियाबाई के साथ शामिल-सरीक दर्ज किया था। नरबदियाबाई एवं मोहन शामिल-सरीक उक्त भूमि पर कास्त करते हुए आपसी विभाजन कर अपने-अपने हिस्से की भूमि पर कास्त करने लगे थे। जिसकी संशोधन पंजी क. 33 दिनांक-16.12.1974 थी, जिसमें सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65 डि. एवं सर्वे क. 33 में से 7.28ए. कुल 7.93ए. भूमि वादीगण की नानी नरबदियाबाई के हिस्से में तथा सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32ए. एवं सर्वे क. 33 में से 7.60ए. कुल 7.92ए. भूमि पर नरबदियाबाई के देवर मोहन के हिस्से में दर्ज होकर दोनो के नाम पर भूमि दर्ज हुई थी। किन्तु नरबदियाबाई एवं मोहन रा.नि. बैहर के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे। इस कारण रा.नि. बैहर द्वारा संशोधन पांच माह के लिए स्थगित किया था, वर्ष 1974 में मोहन के फौत हो जाने के कारण मोहन के वारसान पुत्र पुसू एवं पुत्री इन्द्रोबाई तथा मोहन की मृत पुत्री बरतोबाई के पुत्र प्रति.क.1 व 2 का नाम राजस्व अभिलेखों फौती दाखिला में दर्ज किया गया था।
- वादीगण ने उनके वाद पत्र में यह भी बताया है कि नरबदियाबाई एवं मोहन के पुत्र पुसू के बीच भूमि का बंटवारा हो जाने के कारण सर्वे क. 33 रकबा

रकबा 14.88ए. में से 7.44ए. भूमि तथा सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65ए. कुल 8.09ए. भूमि नरबिदयाबाई को बंटवारे में प्राप्त हुई थी। जिसमें से 0.65ए. भूमि को नरबिदयाबाई ने सुकरती को विक्रय कर दी थी। नरबिदयाबाई के हक हिस्से में 7.44ए. की बचत भूमि थी तथा बादीगण सुकवारोबाई के वारसान हैं। इस कारण वादीगण ही सर्वे क. 33/1 रकबा 7.44ए. भूमि के एकमात्र वैध वारसान होकर स्वामी हैं। सर्वे क. 33 रकबा 14.85ए. में से 7.44ए. भूमि सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32 भूमि मोहन के पुत्र पुसू को हिस्से में प्राप्त हुई थी। मोहन के वारसानों का विवादित भूमि सर्वे क. 33/1 रकबा 7.44 ए. भूमि पर कोई हक—अधिकार नहीं था ना ही प्रति.क.1, 2 एवं 3 की सौतेली मॉ इन्द्रोबाई का हक अधिकार था। मात्र मोहन के पुत्र पुसू के अंश में आने वाली भूमि सर्वे क. 33 में से रकबा 7.44ए. एवं सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32ए. भूमि पर उसका अधिकार था। इन्द्रोबाई दावा के लंबनकाल में फौत हो चुकी है, इस कारण उसकी सौत के पुत्र सुखदेव को प्रति. क.3 बनाया है। विवादित भूमि पर नरबिदयाबाई उसके जीवनकाल में कास्त करती थी। विवादित भूमि में से कुछ भूमि प्रति.क. 1, 2 एवं 3 की सौतेली मां इन्द्रोबाई को देती थी।

वादीगण ने उनके वाद पत्र में बताया है कि नरबिदयाबाई वर्ष 1993 में फौत हो गई थी, उसके फौत होने के बाद सुकवारोबाई, वादीगण के साथ कास्त करती थी। सुकवारोबाई भी कुछ भूमि प्रति.क. 1, 2 एवं 3 की सौतेली मां को देती थी तथा प्रतिवादी क.6 की पत्नी एवं प्रति.क. 7 ,8 ,9 ,10 की माता श्यामबतीबाई को अधिया देती थी। सुकवारोबाई वर्ष 2007 में फौत हो गई थी। उसके फौत होने के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर कास्त करने गए थे तो प्रति.क. 1, 2 एवं 3 की सौतेली मां एवं प्रति.क. 6, 7 ,8 ,9 ,10 ने उन्हें कास्त करने से मना कर दिया था एवं कहा था कि विवादित भूमि के वह मालिक हो चुके हैं। प्रति.क. 1, 2 एवं 3 की सौतेली मां एवं प्रति.क. 6, 7 ,8 ,9 ,10 द्वारा दी गई धमकी से वादीगण को शंका हुई थी, तब वादीगण ने राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त की थी तो उन्हें पता चला था कि प्रति.क.1, 2 एवं 3 की सौतेली मॉ ने राजस्व अभिलेखों में अधिया बटई कमाते हुए चोरी से नरबदियाबाई के मरने के बाद अपना-अपना नाम विवादित भूमि सर्वे क. 33 / 1 रकबा 7.44ए. भूमि में से रकबा 5.44ए. भूमि पर अवैध रूप से नाम दर्ज करवा लिया है तथा नरबदियाबाई के जीवनकाल में ही चोरी से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रति.क. 6, 7, 8, 9, 10 की मां ने सर्वे क. 33 / 1 रकबा 7.44 ए. भूमि में से 2.00 ए. भूमि पर अवैध रूप से नाम दर्ज करा लिया था। जिसका परिवर्तित सर्वे क. 33/1 रकबा 2.00 ए. है। प्रति.क. 1, 2, 3

की मां ने सर्वे क. 33/1 में से चोरी से बिना हक के प्रति.क.4 को सर्वे क. 33/1 रकबा 7.44 ए. में से 0.50 डि. भूमि दिनांक—05.12.2007 को तथा इसी खसरे के रकबे में से 4.34 ए. भूमि प्रति.क.5 को चोरी से दिनांक—09.01.2008 को विकय कर दी है। इसी प्रकार प्रति.क. 6, 7, 8, 9, 10 ने प्रति.क. 11 को दिनांक—30.01.2008 को अवैध रूप से सर्वे क. 33/3 रकबा 2.00ए. भूमि विकय कर दी है। वादीगण ने उनके वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में डिकी दिये जाने का निवेदन किया है।

- प्रति.क-5 ने वादीगण के वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर विशेष कथन में बताया है कि प्रति.क.1 लगा.3 द्वारा उनके मालिकी एवं कब्जे की सर्वे क. 33 / 1 में से 4.34ए. भूमि मौजा लगमा प.ह. नं. 51 की भूमि प्रति.क.05 को विकय की है। वादीगण ने वादपत्र में यह नहीं दर्शाया है कि मोहन का भाई सुकाली मौजा नारना में रहता था वहां मोहन एवं सुकाली की करीब 27ए. पैतृक सम्पत्ति थी, जो सुकाली को प्राप्त हुई थी और नारना के अपने अंश को सुकाली ने विक्रय कर लाभ प्राप्त किया था। पैतृक संपत्ति में मोहन को सुकाली ने ग्राम नारना में कोई अंश नहीं दिया था, दोनों भाई अलग–अलग रहते थे। विवादित भूमि के अतिरिक्त मोहन को उसके अंश अनुसार कम भूमि मिली थी। मोहन के अंश की भूमि पर सुकाली के वारसान का कोई हक नहीं है। वादीगण ने वादपत्र में यह भी नहीं दर्शाया है कि सुकाली को नारना में हिस्सा मिला था और मोहन को लगमा में हिस्सा मिला था। सुकाली की एकमात्र पुत्री सुकवारोबाई थी, जो विवाहोपरांत उसके ससुराल में रही थी। उक्त भूमि पर उसका नाम नहीं रहा। मोहन को प्राप्त भूमि राजस्व प्रलेखों में उसके नाम से दर्ज थी। मोहन की मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्री इन्द्रोबाई एवं बरतोबाई की मृत्यु हुई थी। इसलिए इन्द्रोबाई के साथ बरतोबाई की संतान प्रति.क.1 व 2 विवादित भूमि के कब्जे में थे और उक्त भूमि प्रति.क. 1 लगा. 3 द्वारा प्रति.क. 7 के पक्ष में दिनांक-09.01.2008 को प्रतिफल प्राप्त कर प्रति.क.5 के पक्ष में पंजीकृत विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया था। प्रति.क-5 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 6. प्रति.क.६ लगा. 11 ने वादीगण के वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर उनके विशेष कथन में बताया है कि सर्वे क. 33/3 रकबा 2.00ए. भूमि प्रति.क.६ की पत्नी एवं प्रति.क.७, 8, 9, 10 की मां को नरबिदयाबाई द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि है। नरबिदयाबाई ने उसके जीवनकाल में उक्त भूमि श्यामबतीबाई को दे दी थी। श्यामबतीबाई, नरबिदयाबाई

के भतीजा रितराम की पुत्री है तथा नरबिदयाबाई उसके जीवनकाल में श्यामबतीबाई के साथ ही निवास करती थी। नरबिदयाबाई की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि पर श्यामबतीबाई ही मालिक—काबिज थी। नरबिदयाबाई की पुत्री सुकवारोबाई विवाह के पश्चात् उसकी ससुराल ग्राम नेवरगांव में रही थी। सुकवारोबाई एवं उसके वारसान का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। नरबिदयाबाई द्वारा हस्तांतिस्त की गई भूमि पर वादीगण का हक नहीं है। श्यामबतीबाई की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि प्रति.क. 11 को विकय कर दी गई है। सर्वे क.33/3 रकबा 2.00ए. भूमि प्रति.क.11 द्वारा दिनांक 30.01.2008 के पंजीकृत विकय पत्र द्वारा क्य कर कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि का मद परिवर्तन राजस्व प्रकरण क. 66—अ—2/वर्ष—2007—08 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के आदेश दिनांक 05.06.2008 द्वारा हो चुका है। प्रति.क. 6 लगा. 11 ने वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

- 7. प्रकरण में प्रति.क.—12 दिनांक—21.08.12 को एकपक्षीय हो गया है। इस कारण प्रति.क.—12 की ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।
- 8. प्रकरण मैं तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये थे, जिनके सम्मुख मेरे द्वारा विवेचना उपरांत निष्कर्ष अंकित किये गए।

₮.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा लगमा पटवारी हल्का नम्बर 51 राजस्व निरीक्षक मंडल व तहसील बैहर स्थित सर्वे क. 33/1 रकबा 7.44 ए. भूमि वादीगण को विरासतन हक में प्राप्त होने के आधार पर वादीगण को स्वत्व प्राप्त है ?	"प्रमाणित नहीं।"
2	क्या विक्रय पत्र दिनांक 05.12.2007 एवं दिनांक 09.01.2008 एवं 31.01.2008 अवैध होने से प्रभावशून्य है ?	''प्रमाणित नहीं।''
3	क्या वादीगण उक्त विवादित भूमि का प्रतिवादीगण से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के हकदार हैं ?	''प्रमाणित नहीं।''
4	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक— 4, 5 एवं 11 के द्वारा अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है ?	''प्रमाणित नहीं।''
5	क्या वादी का वाद अवधि बाह्य है ?	'' प्रमाणित ''
6	सहायता एवं व्यय ?	''वादीगण का वाद पत्र निर्णय की कंडिका–20 के अनुसार निरस्त किया गया।''

विवेचना एवं निष्कर्षः-

वादप्रश्न क.-1,2,3,4,5 का निराकरण:-

- 9. वादप्रश्न क. 1 लगा. 5 एक—दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण वादप्रश्न क. 1 लगा. 5 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- फूलबतीबाई वा.सा.1 ने उसके मुख्य परीक्षण में उसके अभिवचन के 10. अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि नरबदियाबाई उसकी नानी थी। नरबदियाबाई को उसके पति सुकाली से भूमि सर्वे क. 33 रकबा 14.88ए., भूमि सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65ए., भूमि सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32ए., कुल रकबा 15. 85ए. मौजा लगमा, प.ह.नं. 51 रा.नि.मं. एवं तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि में नरबदियाबाई ने उसके देवर मोहन का नाम शामिल सरीक रूप से दर्ज करवा लिया था। नरबिदयाबाई एवं मोहन कुछ समय तक उक्त भूमि पर शामिल सरीक रूप से एवं आपसी विभाजन के बाद अलग–अलग कास्त करते थे, इस कारण सर्वे क. 77 / 4 रकबा 0.65ए., सर्वे क. 33 रकबा 14. 88ए., भूमि में से रकबा 7.28ए. भूमि उक्त साक्षी की नानी के हिस्से में दर्ज की गयी थी एवं खं.नं. 77/5 रकबा 0.32ए., खं.नं 33 रकबा 14.88ए. में से 7.60ए. भूमि मोहन के हिस्से में दर्ज हुई थी। दोनो की अनुपस्थिति के कारण बंटवारा स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 1974 में मोहन की मृत्यु हो गयी थी। कुल 15.85 ए. भूमि नरबदियाबाई एवं मोहन के हिस्से में शामिल सरीक दर्ज थी। मोहन के फौत होने के कारण उसके वारसान पुत्र पूसू, पुत्री इंद्राबतीबाई, मृतक पुत्री बरसोबाई के पुत्र प्रति.क.01 एवं 02 के नाम पर दर्ज की गयी थी। इसके बाद नरबदियाबाई एवं मोहन के पुत्र पूसू के बीच बंटवारा हुआ था। जिसमें सर्वे क. 33 रकबा 14.88 ए. में से 7.44 ए., सर्वे क. 77/4 रकबा 0.85 ए. भूमि कुल रकबा 8. 09 ए. नरबिदयाबाई के हिस्से में प्राप्त हुई थी। जिसमें से नरबिदयाबाई ने सर्वे क. 77 / 4 रकबा 0.65 ए. भूमि सुकरतीबाई को विक्रय कर दी थी। नरबदियाबाई के पास केवल सर्वे क. 33 / 1 रकबा 7.44 ए. भूमि थी। खं.नं 33 रकबा 14.88 ए. में से पूसू को 7.44 ए. तथा खं.नं 77 / 5 रकबा 0.32ए. भूमि प्राप्त हुई थी। नरबदियाबाई विवादित भूमि खं.नं 33 / 1 रकबा 7.44ए. भूमि में उसके जीवनकाल तक उक्त साक्षी की मां सुकवारोबाई के साथ कृषि कार्य करती थी। नरबदियाबाई, सुकवारोबाई द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी क01, 02 एवं 03 की सौतेली मां इंद्राबतीबाई को अधिया में कमाने के लिए देती थी। कुछ भूमि प्रतिवादी क 06 की पत्नी श्यामबतीबाई को अधिया में कमाने के लिए देती थी।

- फूलबती वा.सा.01 का यह भी कहना है कि वर्ष 1993 में नरबदियाबाई फौत हो गयी थी। नरबदियाबाई के फौत हो जाने के बाद साक्षी की मां एवं वादीगण वादग्रस्त भूमि पर कास्त करने लगे थे। प्रतिवादीगण ने वादीगण से कहा था कि विवादित भूमि के वह मालिक हो गये है। वादीगण को कृषि कार्य करने से मना किया था। प्रतिवादी क 01, 02 एवं 03 की सौतेली मां इंद्राबतीबाई एवं प्रति. क 06 द्वारा दी गयी धमकी से साक्षी को संदेह होने पर साक्षी ने पटवारी से पूछताछ की थी। तब साक्षी को जानकारी प्राप्त हुई थी कि प्रतिवादी क 01, 02 एवं 03 की सौतेली मां इंद्राबतीबाई एवं प्रतिवादी क 06 की पत्नी श्यामबतीबाई ने अधिया कमाते हुए बिना हक अधिकार के कपटपूर्वक साक्षी की सामिल एवं कब्जे की भूमि पर नरबदियाबाई की मृत्यु के उपरांत अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तब प्रतिवादी क 06 की पत्नी ने अधिया का सहारा लेकर नरबदियाबाई के स्वामित्व की विवादित भूमि ख.नं 33 / 1 रकबा 7.44 ए. में से 2.00 ए. भूमि राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली थी। जिसका परिवर्तित ख.नं 33 / 3 है। विवादित भूमि ख.नं 33 / 1 रकबा 7.44 ए. भूमि की उक्त साक्षी बिरासतन हक के आधार पर स्वामी है। प्रतिवादी क 01, 02 एवं 03 की सौतेली मां इंद्राबतीबाई एवं प्रतिवादी क 06 की पत्नी श्यामबतीबाई का कभी स्वामित्व एवं आधिपत्य विवादित भूमि पर नहीं रहा है।
- 12. फूलबती वा.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में यह भी बताया है कि प्रति.क01, 02 एवं मोहन की मृतक पुत्री बरतोबाई के पुत्र हैं। प्रति.क03 की सौतेली माता इंद्राबतीबाई मोहनसिंह की पुत्री है। प्रति.क 01, 02 एवं इंद्राबतीबाई का हक मोहन के पुत्र पूसू के हिस्से में आने वाली भूमि 7.44 ए. एवं 0.32ए. भूमि में था। नरबिदयाबाई की भूमि पर कोई हक नहीं था। प्रति.क01, 02 एवं इंद्राबतीबाई ने विवादित भूमि का ख.नं 33/1 रकबा 7.44 ए. भूमि में से 0.50 ए. भूमि प्रति.क 04 को दिनांक 05.12.2007 को एवं प्रति.क05 को दिनांक 09.01.2008 को विकय कर दी है। इसी प्रकार प्रतिवादी क 06 लगा.10 द्वारा दिनांक 30.01.2008 को बिना अधिकार के भूमि सर्वे क. 33/3 में से रकबा 2.00हे. भूमि प्रति.क 11 को अवैध रूप से भूमि विकय की गयी है। प्रति.क 04, 05 एवं 11 को विवादित भूमि पर निर्माण कार्य करने एवं विवादित भूमि पर दखल देने से रोका जाना न्यायोचित है। वादिनी के साक्ष्य की पुष्टि की है। वादिनी ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रपी. 01 लगा. प्र.पी.27 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

- राजेन्द्रसिंह प्रति.सा.01 ने वादीगण की साक्ष्य का खण्डन करते हुए स्वयं 13. के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क. 33 / 5 रकबा 1.756, सर्वे क. 33/4 रकबा 0.323 हे./4.34 ए. भूमि प.ह.नं.51 मौजा लगमा रा.नि. मं. एवं तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित है। उक्त भूमि पर साक्षी की बाउण्ड्रीवाल एवं एक छोटा मकान बना हुआ है। शेष भू-भाग में उक्त साक्षी कृषि कार्य करता है। साक्षी ने उक्त भूमि इंद्राबतीबाई, सकरो एवं बखरू से दिनांक 09. 01.2008 को क्य कर विकय पत्र पंजीकृत कराया था। उक्त भूमि प्रति.क01, 02 एवं इंद्राबतीबाई की थी, दस्तावेजों में भी उन्हीं व्यक्तियों का नाम था। भूमि का मौके पर पटवारी ने सीमा के अनुसार नाप किया था। उक्त भूमि पूर्व में विकेताओं के कब्जे में थी इसलिए उनसे कब्जा प्राप्त किया था। वादी क.01 एवं सुकवारोबाई का इस भूमि से कोई संबंध नही है। वह दोनो ग्राम लगमा से 40 कि.मी. दूर दूसरे गांव में रहती हैं। वादीगण ने यह वाद पूर्व में पेश किया था जिसे वापस ले लिया है। भूमि मंगलोबाई की थी, नरबदियाबाई ने बिना किसी आदेश के उक्त भूमि पर अपना नाम पटवारी से दर्ज करवाया था। नरबदियाबाई एवं सकरोबाई का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है एवं बंटवारा भी नहीं हुआ था एवं ना ही बंटवारा की आवश्यकता थी। फूलबतीबाई एवं सुकवारोबाई का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। उक्त साक्षी के हक मालिकी एवं कब्जे की दर्शायी गयी 2.079 भूमि इंद्राबतीबाई एवं प्रति.क01, 02 के हक मालिकी एवं कब्जे की भूमि में से क्य कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त साक्षी द्वारा 0.80डि. भूमि भददोबाई से दिनांक 10.07.2009 को क्य कर कब्जा प्राप्त किया है। सुकाली एवं मोहन के परिवार से सुकवारों एवं फूलबतीबाई का कोई रिश्ता नहीं है। उक्त साक्षी की साक्ष्य की उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी इतवारी मेरावी उर्फ रवि प्रति.सा.02, बखरूसिंह प्रति.सा.03 एवं कुवरसिंह प्रति.सा.04 ने उनके उनके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में पुष्टि की है। प्रतिवादीगण ने उनके पक्ष समर्थन में प्र.डी.01 लगा. प्र.डी.07 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- 14. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1954—55 के अधिकार अभिलेख पंजी क.60 प्र.पी.01 में ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33 रकबा 14.88ए., सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65 ए., सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32ए. कुल रकबा 15.85 ए. भूमि पर मंगलोबाई बेवा सुकाली लिखा था। उसे काटकर नरबिदयाबाई का नाम लिखा गया था एवं नरबिदयाबाई की सहमित के आधार पर उसके शामिल खाते की उक्त भूमि में उसके देवर मोहन का नाम दर्ज किया गया था। प्र.पी.02 की

संशोधन पंजी के द्वारा प्र.पी.01 के अधिकार अभिलेख में उल्लेखित भूमि पर नरबदियाबाई के साथ उसके देवर मोहन का नाम शामिल सरीक रूप में दर्ज किया गया था। दिनांक 16.12.1974 की संशोधन पंजी क 33 प्र.पी.03 के द्वारा ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65 ए. सर्वे क. 33 में से 7.28 कुल 7.93ए. भूमि नरबिदयाबाई के हिस्से में एवं सर्वे क. 77 / 5 रकबा 0.32ए. एवं सर्वे क. 33 में से 6.60ए. कुल 7.92ए. भूमि पर नरबदियाबाई एवं मोहन के नाम शामिल सरीक रूप से दर्ज होना थी। परंतु नरबदियाबाई एवं मोहनसिंह सूचना के बाद उपस्थित नहीं हुए थे। फौती दाखिला अदम पैरवी में पांच माह के लिए बंद किया गया था। दिनांक 01.11.1975 की संशोधन पंजी क 50 के द्वारा ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क, 33 रकबा 14.88ए. सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65ए., सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32ए. भूमि में से मोहन की मृत्यु होने के कारण उसके पुत्र पूसू एवं मोहन की पत्नी अकलोबाई पुत्री इंद्राबतीबाई एवं मोहन की मृतक पुत्री बरतोबाई के पुत्र प्रति.क.01 संकरू, प्रति.क.02 बखरू के नाम पर मोहन के हिस्से की भूमि पर शामिल रूप से नाम दर्ज हुए थे। दिनांक 16.07.1997 की संशोधन पंजी क्रमांक 11 प्र.पी.05 के द्वारा ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 115/2 रकबा 5.80/2.344 हे. भूमि धरमसिंह के फौत होने से उसके पुत्र, पुत्री नहीं होने से पत्नी बसंतीबाई के नाम पर दर्ज हुई थी एवं भूमि सर्वे कं. 33 / 2 में से रकबा 2.00 / 0.809 हे. भूमि पूसू द्वारा बेचने के कारण भददोबाई के नाम पर दर्ज हुई थी

15. वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.06 की दिनांक 13.03.1999 की संशोधन पंजी द्वारा सर्वे कं. 5/3 रकबा 2.00/0.809हे. शामिल खाते की भूमि धरमसिंह के फौत होने एवं उसके पुत्र, पुत्री नहीं होने के कारण उसकी पत्नी बसंतीबाई का नाम, अमानसिंह, कतनीनबाई, गंगाबाई, संतोबाई के नाम पर दर्ज एवं सर्वे कं. 33/2 रकबा 5.44/2.202हे. एवं सर्वे कं.77/5 रकबा 0.32/1.129हे. भूमि अकलोबाई के फौत होने के कारण शेष खातेदार एवं पूसू के नाम पर दर्ज हुई थी। दिनांक 05.02.1992 की संशोधन पंजी क.01 प्र.पी.07 के द्वारा भूमि सर्वे कं. 77/4 रकबा 0.65/0.263 हे. भूमि नरबिदयाबाई द्वारा विक्रय करने के कारण सुकरतीबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। प्र.पी.08 के खसरा पांचसाला में सर्वे कं. 33/1 रकबा 5.44ए. में नरबिदयाबाई, इन्दरो, सकरू, बखरू, अकलोबाई के नाम पर एवं सर्वे कं. 33/2 रकबा 7.44ए. पूसू के नाम पर सर्वे कं. 33/3 रकबा 2. 00ए. श्यामबतीबाई के नाम पर, सर्वे कं. 77/4 रकबा 0.65ए. सुकरतीबाई, सर्वे कं. 77/5 रकबा 0.32ए. पूसू के नाम पर दर्ज हैं। दिनांक 08.04.2000 की संशोधन पंजी क 39 प्र.पी.09 के द्वारा भूमि सर्वे क. 33/2 रकबा 5.44/2.202हे. सर्वे कं.

77 / 5 रकबा 0.32 / 1.29 हे. भूमि पूसू की मृत्यु के कारण उसकी पत्नी मंगलोबाई, पुत्र मंगलिसंह पुत्री मीराबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। दिनांक 05.12.2007 के रिजस्टर्ड विकय पत्र प्र.पी.10 के द्वारा ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33/1 में से 0.50डि. भूमि इंद्राबती एवं प्रति.क.01, 02 द्वारा विकय करने के कारण प्रति.क. 11 द्वारा क्रय की थी। दिनांक 09.01.2008 के रिजस्टर्ड विक्रय पत्र प्र.पी.11 के द्व ारा प्रति.क01, 02 एवं इंद्राबतीबाई ने प्रति.क.05 राजेन्द्रसिंह को ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33 / 1 में से रकबा 4.34ए. भूमि विकय की थी। दिनांक 30.06.2008 के रजिस्टर्ड विकय पत्र प्र.पी.12 के द्वारा प्रति.क07 लगा.10 द्वारा प्रति.क 11 को ग्राम लगमा की भूमि सर्वे कं. 33/3 में से रकबा 2.00 ए. भूमि विकय की थी। वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादी सकरू आदि के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में को 13.03.08 वादपत्र प्रस्तुत किया था, जिसका कमांक-97ए / 2008 है जिसकी प्रथम आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 13 है। वादिनी ने उक्त वाद दिनांक 04.05.2012 को नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया था। जिसकी आदेश पत्रिका की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.14 है। उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 08.11.2010 को तैयार किया गया पंचनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.15 एवं उक्त प्रकरण के प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.16 है।

16. वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.17 एवं प्र.पी.18 के खसरा पांचसाला में सर्वे क. 77/4 रकबा 0.65ए. भूमि पर सुकरतीबाई, सर्वे क. 77/5 रकबा 0.32ए. भूमि पर पूसू, अकलो बेवा मोहन, सर्वे क. 33/1 रकबा 5.44ए. भूमि पर इंद्राबतीबाई, सकरू, बखरू के नाम, सर्वे क. 33/2 रकबा 5.44ए. भूमि पर पूसू, अकोला बेवा. मोहन, सर्वे क. 33/3 रकबा 2.00ए. भूमि श्यामबतीबाई, सर्वे क. 33/4 रकबा 2.00ए. भूमि पर भददोबाई के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हैं। वर्ष 2006–07 के खसरा पांचसाला प्र.पी.19 में भूमि सर्वे क. 33/1 रकबा 2.201ए. ग्राम लगमा की भूमि पर इंद्राबाई, सुकरो, बखरू के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज हैं। सुकरोबाई द्वारा तहसीलदार बैहर के न्यायालय में ग्राम लगमा की नरबिदयाबाई की भूमि सर्वे क. 33 रकबा 6.022ए., सर्वे क. 77/4 रकबा 2.263ए. सर्वे क. 77/5 रकबा 0. 129हे. भूमि पर विरासतन हक से नाम दर्ज करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, तहसीलदार बैहर के न्यायालय के उक्त आवेदन से संबंधित आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.20 है। विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार बैहर के न्यायालय में इंद्राबतीबाई एवं प्रति.क.01, 02 द्वारा दी गयी आपत्ति के आवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.21 है। सुकवारोबाई द्वारा उसकी मां की विवादित भूमि के

संबंध में उसका स्वयं का नाम दर्ज करने के लिए तहसीलदार बैहर के न्यायालय में दिये गये आवेदन की प्रति प्र.पी.22 है। प्रति.क.06 ने सुकवारोबाई के फौती दाखिला के आवेदन का जवाब दिया था, जिसकी सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.23 है।

- प्रकरण में प्रस्तुत प्र.पी.24 की संशोधन पंजी में प्र.पी.02 की संशोधन पंजी 17. में उल्लेखित भूमि एवं पक्षकारों के नाम दर्ज हैं। वर्ष 2006–07 के खसरा पांचसाला प्र.पी.25 में सर्वे क 77 / 4 रकबा 2.263ए. भूमि पर सुकरतीबाई का नाम, वर्ष 2006-07 के खसरा पांचसाला प्र.पी.26 में सर्वे क.33/3 रकबा 0.809ए. भूमि पर श्यामबतीबाई का नाम, वर्ष 2006-07 के खसरा पांचसाला प्र.पी.27 में सर्वे क. 33 / 2 रकबा 2.201ए., सर्वे क. 77 / 5 रकबा 0.129ए. भूमि पर पूसू का नाम भूमि स्वामी आधिपत्य धारी के रूप में दर्ज है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.डी.01 के बंदोबस्त खसरा में उल्लेखित भूमि पर पंसारी एवं पूसू दस्तावेज के कालम नं. 07 में मन्त्री गोंड का नमा लिखा है। प्र.डी.02 के बंदोबस्त खसरा में उल्लेखित भूमि सवनूलाल, धोबी के नाम पर दर्ज है। वर्ष 1954–55 के अधिकार अभिलेख पंजी प्र.डी.03 में ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क.74/1 रकबा 10.87ए., सर्वे क. 73/61 रकबा 0.14ए., एवं सर्वे क. 73/62 रकबा 0.96ए., कुल 11.95ए. में प्रमाणिकरण अधिकारी के आदेश दिनांक 28.06.1956 के द्वारा भादा, समलो और कारी का नाम शामिल सरीक रूप से दर्ज हुआ था। भूमि बिकने से उक्त अधिकार अभिलेख की पंजी में भूमि में कमी हुई थी। वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख पंजी प्र.डी.04 में यह लिखा है कि ग्राम नारना की भूमि सर्वे क. 46 रकबा 24. 19ए., सर्वे क.39 / 5 रकबा 1.27ए., सर्वे क. 39 / 27 रकबा 0.20ए., कुल रकबा 25.66ए. भूमि पर भग्गोबाई के नाम के साथ व्यवस्था पत्र के द्वारा गुड़डीबाई का नाम भी दर्ज हुआ था। भददोबाई ने दिनांक 10.07.09 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र. पी.05 के द्वारा ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क.33/4 रकबा 0.80/0.323हे. भूमि प्रति.क.05 को विकय की थी। इंद्राबती, सकरू, बखरू ने दिनांक 09.01.2008 के रिजस्टर्ड विकय पत्र प्र.डी.०६ के द्वारा ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33 / 1 में से रकबा ४.३४ए. भूमि प्रति.क.०५ को विकय की थी। प्रति.क.०५ ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के आदेश दिनांक 28.05.12 के द्वारा भूमि सर्वे क. 33/5 में से रकबा 4.34ए. भूमि का डायवर्सन करा लिया है।
- 18. प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.04 की संशोधन पंजी में खसरा नम्बर 33 की पूरी भूमि का उल्लेख है। ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33/3 रकबा 2.00ए. भूमि नरबिदयाबाई के नाम से श्यामबती के नाम पर किस दस्तावेज से आयी है ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं

किया गया है। नरबिदयाबाई को प्र.पी.03 की संशोधन पंजी के द्वारा 14.88ए. भूमि में से 7.93ए. भूमि प्राप्त होना थी, परतु नरबिदयाबाई एवं मोहन की अनुपस्थिति के कारण उक्त संशोधन पंजी को स्थिगत कर दिया गया था। प्र.पी.10 के विक्रय पत्र द्वारा मोहन के वारसानों ने प्रति.क.04 को ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33/1 में से 0.50िड. भूमि विक्रय की थी। प्र.पी.11 के विक्रय पत्र द्वारा मोहन के वारसानों ने ग्राम लगमा की भूमि सर्वे क. 33/1 में से रकबा 4.34ए. भूमि प्रति.क.05 को विक्रय की थी। भूमि सर्वे क. 33/2 में से भददोबाई ने रकबा 0.80िड. भूमि पूसू से क्य की थी। इस कारण भददोबाई ने प्र.डी.05 के रिजस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रति.क.05 को भूमि विक्रय की है। सर्वे क. 33/1 रकबा 5.44ए. भूमि वर्ष 1992 लगा. वर्ष 1997 के खसरा पांचसाला प्र.पी.08 में नरबिदयाबाई के नाम पर दर्ज रही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11 के विकय पत्र द्वारा मोहन के 19. वारसानों ने विवादग्रस्त भूमि में से जो भूमि विक्रय की थी वह उनके नाम पर किस दस्तावेज से आयी थी ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है। प्र.पी.12 के विक्रय पत्र द्वारा श्यामबती की वारसानों ने जो भूमि विक्रय की थी वह भूमि उनके नाम पर किस दस्तावेज से आयी थी ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया है। सर्वे क. 33/3 की रकबा 2.00ए. भूमि प्र.पी.08 के खसरा पांचसाला में श्यामबतीबाई के नाम पर दर्ज है। परंतु श्यामबतीबाई के नाम पर उक्त भूमि किस दस्तावेज के द्वारा दर्ज हुई है ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत नहीं किया है। सर्वे क. 33/2 रकबा 2.00ए. की भूमि श्यामबतीबाई के नाम पर गलत रूप से आयी है यह वादीगण ने किसी दस्तोवज के द्वारा प्रमाणित नहीं किया है। सर्वे क. 33/1 रकबा ५.४४ए. की मालिक नरबदियाबाई थी। नरबदियाबाई की वर्ष 1993 में मृत्यु हो गयी है। वादीगण ने नरबिदयाबाई की मृत्यु के बाद वर्ष 1993 के बाद नामांतरण की कोई कार्यवाही नहीं की थी। नरबदियाबाई की मृत्यु वर्ष 1993 के बाद एवं पूर्व का दावा दिनांक 13.03.2008 को वाद पेश करने से पहले वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही की हो ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण ने नरबदियाबाई की मृत्यु के लगभग चौबीस वर्ष बाद यह दावा पेश किया है। वादीगण का वाद अवधि बाह्य है इस कारण वादीगण विवादग्रस्त भूमि सर्वे क. 33 / 1 रकबा 7.44ए. भूमि का स्वत्व प्राप्त करने एवं दिनांक 05.12.2007, दिनांक 09.01.2008 एवं दिनांक 30.01.2008 के विकय पत्र को शून्य घोषित कराने एवं विवादित भूमि का प्रतिवादीगण से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने एवं विवादित

भूमि पर प्रति.क.04, 05 एवं 11 के निर्माण कार्य को निषेधित कराने के अधिकारी नहीं है। वादीगण का वाद अविध बाह्य है। वादीगण वादप्रश्न क्रमांक 01 लगा. 05 को अपने पक्ष में प्रमाणित करने मैं असफल रहे हैं।

वादप्रश्न क.-6 सहायता एवं व्यय:-

20. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण विवादग्रस्त भूमि सर्वे क. 33/1 रकबा 7.44ए. भूमि प.ह.नं. 51 मौजा लगमा, रा.नि.मं. एवं तह. बैहर, जिला बालाघाट के संबंध में अपना वादपत्र प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वादपत्र निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप निम्न आशय की डिकी पारित की जाती है:—

ALLEN SILVEN PAREIN

1— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे। 2— अभिभाषक शुल्क नियामानुसार देय होगी।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग—1 तहसील बैहर, जिला बालाघाट (दिलीप सिंह) द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग–1 तहसील बैहर, जिला बालाघाट